


29/8/23

पत्रावली काज पेश हुई। डी. पी. के
के वकील उपस्थित। विवाही केलना।
का जवाब अजाला। जवाब का हुकम
बन्द किया जाता है। डी. पी. के
विहार मजिस्ट्रेटको के वदत
सुनी गई। कोर्ट के केलना के
लिवाला जाकर खुले न्यायालय
सुनना गया। कोर्ट की पालना
तरीर जारी है। पालना छान होने
पर शामिल पत्रावली की जारी पत्रावली
विधि सुनार होकर कार्रवाई
दफतर है।


अपरवण्ड जज श्री. गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 73/2023

प्रार्थीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र समेलसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. सोना पुत्र रामा जाति पुरोहित
2. बुधराम पुत्र जोराराम
3. अशोक कुमार पुत्र पांचाराम
4. पूजा पुत्री पांचाराम
5. प्रमेश्वरी पत्नी पांचाराम
6. मांगीलाल पुत्र पांचाराम जाति विशनोई निवासी गुड़ामालानी
7. उदा पुत्र गजा
8. गेनाराम पुत्र खीमाराम
9. जगमाल पुत्र गजा
10. जीयोदेवी पत्नी खीमाराम
11. टीकमाराम पुत्र खीमाराम
12. माला पुत्र गजा
13. विरधा पुत्र गजा
14. सगराम पुत्र गजा
15. सुरेश कुमार पुत्र खीमाराम
16. चुतराराम पुत्र गजाराम जाति राईका निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
17. वद्रीसिंह पुत्र समेलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
19. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा गुड़ामालानी
20. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री जगदीश विशनोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 29.08.2023


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के आवेदन का कोई जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई तहसील गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 1.8777 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण

का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 1.8777 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी साई कलवी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक/2023/1056

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक : 31/8/23

विप्रार्थीगण

भंवरसिंह

सोना वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.मू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी


राजस्व आवेदन सं.....73/2023..

निर्णय दिनांक :- 29.08.2023

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 1. 8777 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये500/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 31/8/23

क्रमांक: वाद/2023/1057-58
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी।
4. हल्का पटवारी....आलपुरा. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....भंवरसिंह पुत्र समेलसिंह
6. विप्रार्थीगण.....सोना वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी